निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 84/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बाबूलाल पुत्र श्री बालू जाति माली निवासी ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी कजोड जाति माली, निवासी ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. सिण्डीकेट बैंक शाखा खोरा श्यामदास, ग्राम श्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर ।
4. सब रजिस्ट्रार, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
5. सब रजिस्ट्रार कम नायब तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. श्री राम महला पुत्र श्री नौरंग राम महला जाति जाट निवासी चरण सिंह कॉलोनी नवलगढ रोड, सीकर ।
7. श्रीमती सपना महला पत्नी श्री सुरेश सिंह जाति जाट निवासी ग्राम पापडा कला उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 99/2021 व प्रार्थना पत्र संख्या 92/2021 ब उनवानी बाबूलाल बनाम शान्ति देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री मनोज कुमार अजमेरा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री एच॰ एस॰ चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी 1, 6 व 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के समक्ष प्रकरण संख्या 99/2021 व प्रार्थना पत्र संख्या 92/2021 ब उनवानी बाबूलाल बनाम शान्ति देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर ग्रामीण

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री एच॰ एस॰ चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वर्तमान में पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमन चौधरी आर॰ए॰एस॰ द्वारा प्रकरण में सुनवाई बिना रिकार्ड प्राप्ति के ही सुनना प्रारम्भ कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त अधिकारी जो कि प्रकरण में पक्षकार प्रत्यर्थी नम्बर 6 व 7 की जानकार व सजातीय है, प्रकरण में सुनवायी हेतु तारीखें नजदीक नजदीक देकर येन केन प्रकारेण उन्हें फायदा पहुंचाना चाहती है । इस प्रकरण से प्रार्थी/वादी का पीठासीन अधिकारी रामपुरा डाबडी से कतई न्याय की उम्मीद नहीं है । प्रकरण में लगातार फाईल को बहस में रखी जाकर जबरन सुनवाई/बहस करने को आदेशित करती है जिससे की येनकेन प्रकारेण अपने रिश्तेदार को प्रकरण में फायदा पहुंचा सके। इसलिए प्रार्थी को अब उक्त न्यायालय से न्याय मिलने का विश्वास नहीं रहा है। न्यायहित में उक्त प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1, 6 व 7 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। इसलिए मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी व पक्षकार सजातीय होना पत्रावली को अन्यत्र ट्रान्सफर किये जाने का आधार नहीं है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में

जिला कलक्टर
जयपुर ग्रामीण

लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

जिला कलक्टर जिला जयपुर (ग्रामीण)